

Affiliation Letter of the M.A. Course

• Temporary Affiliation:

संख्या-5296 / सत्तर-6-2009-2(589) / 2009

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2217/सम्बद्धता/2009, दिनांक 24.12.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
 3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
- (2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-5296(1)/सत्तर-6-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)
अनु सचिव।

• Permanent Affiliation:

संख्या-सम्ब0 387/सत्तर-6-2011-2(589)/2009

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: २४ जुलाई, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-4416/सम्बद्धता/2011, दिनांक 30.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 387(1)/सत्तर-6-2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छाटां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- ✓ 4. प्रबन्धक, अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा वाया बरही, गोरखपुर।
5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 - 2201507
प्रेषक,



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

पत्रांक 5330 / सम्बद्धता / 2011
सेवा में,

दिनांक 10 / 12 / 2011

प्रबन्धक,

अखिलभाग्य महाविद्यालय
रानापार, गोरखपुर।

विषय- अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-शासन के पत्र संख्या: सम्ब0 387/सत्तर-6-2011-2(589)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2011 द्वारा अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

उक्त पत्र में अंकित शर्त संख्या-1 के अनुपालन में महाविद्यालय ने सत्र 2010-11 का परीक्षाफल प्रस्तुत किया है, परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है, जो परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित है। संदर्भित महाविद्यालय परीक्षा सत्र 2010-11 की परीक्षा में नकल में आरोपित नहीं है।

उपरोक्त शासन के पत्र में अंकित शर्त संख्या-1 में निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में माननीय कुलपति ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शासन के पत्र संख्या- सम्ब0 387/सत्तर-6-2011-2(589)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2011 में निहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता (स्थायी) एवं कक्षा संचालन की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अनुसचिव, (उच्च शिक्षा) उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता कला संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. सहायक कुलसचिव परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
6. समन्वयक, वेबसाइट।

भवदीय,

कुलसचिव

09/12/2011

कुलसचिव